गड्ढे में नहीं मिले मानव शरीर के अन्य टुकड़े

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. कोलार पुलिस पिछले 30 घंटे से अधिक समय से अज्ञात मानव अंग की शिनाख्त करने में जुटी है. डीमार्ट के पीछे साउथ एक्सटेंशन में एक विवादित प्लॉट के पानी से भरे गड्ढे में मानव अंग मिलने के बाद पुलिस लगातार खोजबीन करने में जुटी है.

▸ डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

शव सर, धड़ और हाथ की तलाश की जा रही है. डीसीपी मयूर खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर मौजूद रहे. पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि पूरे इलाके में डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर जुटी है. घटना स्थल के पास से पुलिस को एक पर्स भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ कागजात मिले हैं. घटना कब, क्यों, किसके साथ हुई. इसको लेकर पुलिस की टीम अधिकारियों की निगरानी में काम कर रही है. फिलहाल घटना को लेकर किसी भी तरह की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

बता दें कि घटना स्थल के पास कुछ बच्चे खेलते हुए पानी भरे गड्ढे की तरफ गए थे, जहां बच्चों को मानव अंग दिखा था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस को अंदेशा था कि शव के अन्य अंग भी गड्ढे में होंगे. इसके लिए पुलिस ने पूरी रात पानी इंजन चलाकर गड्ढे को खाली कराया. गड्ढे में कोई अन्य मानव अंग नहीं मिलने से पुलिस को निराशा हाथ लगी.

> अज्ञात शव को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना स्थल के पास मिली बोरी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या के बाद शव के टुकड़े करके फेंके. एक अनुमान के अनुसार 15 से 20 दिन पहले की यह घटना हो सकती है. पुलिस इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग सकता है.

पैरोल अवधि पूरी होने के बाद कैदी नहीं पहुंचा जेल

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. पैरोल पर बाहर आया कैदी जेल नहीं पहुंचा, जिस कारण पुलिस ने उस पर नियम अवहेना का केस दर्ज किया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल से पैरोल पर रिहा सजायाफ्ता बंदी रिजवान के संबंध में जेल विभाग ने गांधी नगर थाने में आवेदन दिया, जिसमें बताया कि पैरोल की तारीख 5 अक्टूबर थी, लेकिन रिजवान जेल में दाखिल नहीं हुआ. जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने यह जानकारी पुलिस को दी. गांधीनगर पुलिस ने आरोपी रिजवान के खिलाफ पैरोल नियमों की अवहेलना करने पर केस दर्ज किया है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश कर रही है. जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय आरोपी बबला रिजवान को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आरोपी को पहली बार 142 दिन की पैरोल मंजूरी मिली थी. पैरोल की तारीख पूरी होने के बाद भी आरोपी जेल में दाखिल नहीं हुआ, तो पुलिस ने मामले में एक्शन लेना शुरू किया है.

नकली दवाओं के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने किया प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर होगा आंदोलन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. नकली दवाओं और मिलावट के विरोध में भोपाल में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया. सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) की भोपाल इकाई ने बरखेड़ी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर मांगे रखी.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव कामरेड मुदित भटनागर ने कहा कि बच्चों की यह मौतें सिर्फ किसी लापरवाही का नतीजा नहीं है बल्कि मासूमों की यह लाशें प्रदेश के भ्रष्टाचारी सरकारी तंत्र की सबूत हैं. उन्होंने कहा कि यह कोई घटना मात्र नहीं है बल्कि हत्याएं हैं. मुनाफाखोरी के इस दौर में तमाम सरकारी व प्राइवेट दवा कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका नतीजा है कि वह अमानक व नकली दवाइयां बाजार में लाकर अपना तिजोरिया भर रही है. भटनागर ने कहा कि यह षड्यंत्र सरकारी तंत्र से छिपा हुआ नहीं है, जो दवाइयां अन्य राज्यों में बैन कर दी गई हो वे दवाएं मध्य प्रदेश के बाजार में बिक रही है.

इसका मतलब ही है कि यह सब प्रशासन और सरकार की मिलीभगत का नतीजा है. पार्टी की राज्य समिति सदस्य कॉमरेड रचना अग्रवाल ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के इस्तीफे और उदाहरण मूलक सजा देने, नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की हम मांग करते हैं.

फरार इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार

भोपाल, 8 अक्टूबर. टीटी नगर थाना पुलिस ने 2 हजार रुपये के फरार इनामी आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी अजय ऊंटवाल उर्फ प्रिंस उर्फ एजे उम्र 28 वर्ष निवासी शाहजहांनाबाद को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक पुराना बस स्टैंड जवाहर चौक पर लोहे की धारदार छूरी लेकर घूम रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा. नाम और पता पूछने पर उनसे अपना नाम अजय ऊंटवाल उर्फ प्रिंस बताया. पुलिस ने अजय की तलाशी लो तो उसके पास से एक लोहे की धारदार छुरी मिली.

शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 45 लाख की ठगी

▸ दवा कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर ने की शिकायत

▸ 37 लाख का टैक्स जमा करवाने को कहा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. राजधानी में एक दवा कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर के साथ लाखों की ठगी हुई है. सायबर ठगों ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर मैनेजर से करीब 45 लाख रुपए की ठगी की. पीडित ने मामले की शिकायत बाग सेवनिया थाने में कराई है. पुलिस ने फरियादी के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जानकारी के अनुसार ठगी के शिकार व्यक्ति उमेश ठाकुरे उम्र 46 वर्ष मंडीदीप स्थित एक बड़ी कंपनी में सालों से प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर कार्य करते हैं. अगस्त महीने में उमेश को अनु शर्मा नाम की महिला का फोन आया. महिला ने उमेश से बातों बातो में ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश की जानकारी दी.

इसके बाद महिला ने अपने एक सीनियर हर्ष नामदेव से भी उमेश की बात कराई. हर्ष नामदेव और अनु शर्मा ने उमेश को एक एप डाउनलोड कराते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम शुरू भी करवाया. दवा कंपनी को एप पर की गई शुरुआती ट्रेडिंग से लाभ मिलना शुरू भी हो गया था. इसी दौरान हर्ष और अनु ने उमेश से अलग-अलग राज्यों में संचालित बैंकों के खातों में धनराशि ट्रांसफर करवाया.

इसके बैंक से उमेश को पता चला कि आगे की राशि निकालने के लिए उन्हें 37 लाख रुपये का ट्रैक्स जमा करवाना होगा. बैंक खातों में करीब 45 लाख रुपये निकलने की जानकारी सामने आने पर मैनेजर को ठगी का एहसास हुआ.

> फरियादी उमेश ने मामले की शिकायत में पुलिस में की है. पुलिस ने उमेश के बयान के आधार पर हर्ष नामदेव सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

शाहजहांनाबाद थाने में जब्त वाहनों की नीलामी

नीलामी में कुल 20 दोपहिया और 1 चार पहिया वाहन शामिल रहे

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. शाहजहानाबाद थाना परिसर में बुधवार को पुलिस की सख्त निगरानी में जब्त गाड़ियों की नीलामी हुई. नीलामी में कुल 20 दोपहिया और 1 चार पहिया वाहन शामिल रहे. नीलामी में बोली लगाने वालों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

नीलामी की शुरुआत 1 लाख से हुई और अंतिम बोली 3 लाख 500 रुपये तक पहुंची. वाहनों की नीलामी का पूरा कार्यक्रम डीसीपी अभिनव चौक, एसीपी अनिल बाजपेयी, एसीपी राकेश बघेल और टीआई शाहजहानाबाद की मौजूदगी में संपन्न हुआ. नीलामी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और हर बोली को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया. सूत्रों के अनुसार, कई वाहन पुराने प्रकरणों में जब्त किए गए थे, जिन्हें अब सरकारी आदेशों के तहत निस्तारित किया गया है.

अधेड़ ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

मृतक की शराब पीने की आदत से परेशान था परिवार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. कोलार इलाके में एक पिता ने अपने पुत्र से नाराज होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवराम घाड़गे उम्र 50 वर्ष अपने परिवार के साथ कान्हाकुंज में रहते थे और फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे. मृतक के पुत्र ने पुलिस को बताया कि उसके पिता हर रोज शराब पीकर घर आते थे. घटना के दिन मृतक के पुत्र ने जब इसका विरोध किया, तो वह नाराज हो गए. इस दौरान शिवराम का पुत्र घर से बाहर चला गया. शिवराम की पत्नी और एक बेटी किसी रिश्तेदार के घर शहर के बाहर गई थी. इस बीच घर पर अकेले रहे शिवराम ने फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर ली. देर रात को मृतक पुत्र जब घर पहुंचा और पिता को फंदे पर लटकता देखा, तो वह घबरा गया और शिवराम को फंदे से उतार कर अस्पताल लेकर पहुंचा. जहां डाक्टरों ने शिवराम को मृत घोषित कर दिया.

बीमारी से परेशान युवती ने की आत्महत्या

भोपाल, 8 अक्टूबर. बैरसिया थाना क्षेत्र के नलखेड़ा गांव की रहने वाली एक युवती ने अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने पीएम कराते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती रचना ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका के परिजनों के बयान के मुताबिक वह लंबे समय से बीमार थी. इसी कारण मानसिक रूप से परेशान थी. मंगलवार को घर पर जब कोई नहीं था, तब रचना ने आत्महत्या कर ली. मृतका के पिता नारायण सिंह मजदूरी करते हैं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शमीम अखतर था। जिसे बदलकर शमीम अखतर मूसा कर दिया गया है। मुझे ASHAMIM AKTHER MOOSA D/O KHAN BAHADUR KUTTI MOOSA नाम से जाना व पहचाना जाएं।

सही: शमीम अखतर मूसा
वार्ड नं. 10, भरवेली अमेड़ा,
जिला –बालाघाट (म.प्र.)

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Jagdish S/o Hajarilal residing at s convent school back street, Sanchora colony, ashta, Sehore, Madhya Pradesh - 466116, have changed my name and shall hereafter be known as Jagdish Badolia.

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश कुमार साहू, निवासी- 62/2, गमिरिया मोहल्ला, बेगमगंज, रायसेन, मध्यप्रदेश, का शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि मेरी पुत्री माधवी साहू (Madhavi Sahu) है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल, भोपाल, द्रोणाचल टोप के कक्षा नवीं का छात्रा है जिसके स्कूली दस्तावेजों में नाम माधवी (Madhavi) दर्ज है जिसमें उपनाम साहू (Sahu) दर्ज नहीं है जबकि मेरी पुत्री का पूर्ण नाम माधवी साहू (Madhavi Sahu) है के स्कूली दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम माधवी (Madhavi) के स्थान पर पूर्ण नाम माधवी साहू (Madhavi Sahu) दर्ज किया जावे

त्यौहार के पहले नगर निगम ने खींची पीली पट्टी

भोपाल 8 अक्टूबर. त्योहारी सीजन की चहल-पहल में राजधानी के न्यू मार्केट इलाके में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है. दुकानों के बाहर पीली पट्टी खींचकर 'लक्ष्मण रेखा' तय की गई है, जिसके पार सामान फैलाने पर दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगेगा.

यह पहल बाजार की भीड़ और राहगीरों की परेशानी को देखते हुए की गई है, जहां स्ट्रीट वेंडर और अवैध कब्जे आम समस्या बन चुके हैं. न्यू मार्केट, भोपाल का सबसे व्यस्त बाजार है, जहां दिवाली और अन्य त्योहारों के मौसम में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है. व्यापारी ने कहा, हमारी शिकायत पर निगम ने पीली पट्टी खींची है, जो हमारी दुकानों की अंतिम सीमा है. इससे बाहर सामान रखने पर चालान कटेगा या सामान जब्त होगा.

▸ अतिक्रमण रोकने की तैयारी

हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी धराया

अड़ीबाजी कर चाकू की नोंक पर मांगे थे रुपये

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 8 अक्टूबर. गांधीनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सोहेल खान निवासी निशातपुरा ने घायल अवस्था में बदमाश नसीम ब्रेकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था. सोहेल ने पुलिस को बताया कि मदर इंडिया कॉलोनी निवासी नसीम ब्रेकर ने फरियादी से अड़ीबाजी कर चाकू की नोक पर शराब के लिए पैसा मांगे थे. फरियादी ने जब पैसे देने से मना किया तो नसीम ब्रेकर ने उस पर चाकू से हमला किया गया. हमले में सोहेल की पीठ के नीचे गंभीर चोट पहुंचाकर आरोपी ने हत्या करने का प्रयास किया.

थाना गांधीनगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी नसीम ब्रेकर शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र का आदतन अपराधी है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी जोन-4 महोदय मयूर खंडेलवाल, एडिशनल डीसीपी महोदय मलकीत सिंह व एसीपी निशातपुरा अक्षय चौधरी के निर्देशन में थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई. टीम द्वारा सूचना पर आरोपी नसीम ब्रेकर को संत आश्रम वाली गली से घेराबंदी कर पकड़ा, जो आरोपी से चाकू जब्त किया गया. मामले मे आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा. आरोपी नसीम ब्रेकर के खिलाफ भोपाल के विभिन्न थानों में चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, अडीबाजी के कुल 40 अपराध पंजीबद्ध हैं.

जहांगीराबाद में ड्रग विभाग का छापा

भोपाल 8 अक्टूबर. शहर के जहांगीराबाद स्थित दीप ड्रग हाउस में बुधवार को ड्रग विभाग ने तीन घंटे तक छापेमारी की. इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर तब्बसुम मैरोठा ने बताया कि कई सीरप में गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई हैं. जांच के दौरान दीप ड्रग हाउस से कई बोतलें जब्त की गईं. साथ ही चार मेडिकल स्टोर्स से कफ सीरप के सैंपल भी लिए गए.

▸ जानलेवा कफ सिरप मिले

▸ कई बोतलें जब्त

बता दें कि प्रदेश में बच्चों की मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है. हाल ही में छिंदवाड़ा में कफ सीरप पीने से बच्चों की जानें गई थीं. इसके बाद फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की चार टीमें दवा बाजार में भी अचानक छापेमारी करने उतरी. टीम ने रेस्पिफ्रेस डी और एएनएफ कफ सीरप को खोजा, जिन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था इनमें कोल्ड्रिफ कफ सीरप (तमिलनाडु निर्मित), री-लाइफ और रेस्पिफ्रेस टीआर (गुजरात की कंपनियों द्वारा निर्मित) शामिल हैं. भोपाल में ये सीरप कम से कम पांच मेडिकल एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किए गए थे.

कार्यक्रम | **नाको तथा म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति का संयुक्त आयोजन**

एड्स जागरुकता के लिए निकाली रैली

भोपाल, 8 अक्टूबर. नाको तथा म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के प्रायोजन में दिए गये दिशा निर्देशों के तहत म प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग रासेयो प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय रासेयो प्रकोष्ठ एवं मुक्त इकाई रासेयो द्वारा बीएसएसएस महाविद्यालय भोपाल की सुगठन व्यवस्था में महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लबों एवं अन्य युवाओं की सहभागिता से महिला एवं पुरुष श्रेणी के विश्वविद्यालय जिला स्तर पर 05 किमी रेड रन यूथ अगेन्स्ट एच आई वी/एड्स का आयोजन एवं जागरुकता पहल के साथ पुरस्कार वितरण समारोह ज्ञान विज्ञान भवन भोपाल के मुक्ताकाश में सम्पन्न हुआ.

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में एड्स और एचआईवी के प्रति जागरुकता बढ़ाना और समाज में इस विषय पर सकारात्मक सोच का निर्माण करना है. इस आयोजन में भाग लेकर युवा शक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता का संदेश देगी और एक मजबूत समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगी. रेड रन में डा. प्रभाकर तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के मुख्य आतिथ्य, डा. अशोक कुमार स्रोती उप कार्यक्रम सलाहकार एवं क्षेत्रीय निर्देशक मनोज कुमार अग्निहोत्री राज्य एनएसएस अधिकारी, सविता ठाकुर ज्वाइंट डायरेक्टर आई ई सी म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, डा. अनन्त कुमार सक्सेना कार्यक्रम समन्वयक रासेयो एवं राहुल सिंह परिहार कार्यक्रम अधिकारी तथा बी बी सिंह कार्यकम अधिकारी बीएसएसएस उपस्थित थे. रेड रन को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 05 किमी रेड रन ज्ञान विज्ञान भवन के मुक्ताकाश से प्रारंभ होकर विश्वविद्यालय परिसर में भ्रमण करते हुए अतिथि गृह से वापस रोड से आकर ज्ञान विज्ञान भवन पर ही समाप्त हुई. इसमें 250 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की.

> बालिका वर्ग में प्रथम स्थान आध्या सिंह यूआई टी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, द्वितीय स्थान वैभवी ज्योति टी आई टी भोपाल एवं तृतीय स्थान आशा बरकड़े नूतन महाविद्यालय भोपाल ने प्राप्त किया. इसी प्रकार पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान गोलू कटारिया सेंट मैरी महाविद्यालय विदिशा, द्वितीय स्थान मोनम चंद्रवशी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल एवं तृतीय स्थान अमन मेवाड़ा सिस्टैक रातीबड़ ने प्राप्त किया. इसमें प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता प्रतिभागियों को क्रमशः 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. इसी के साथ दोनों ही वर्ग में 07-07 प्रतिभागियों को सात्वना पुरस्कार प्रदान किये गये.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस:- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071,

ब्रांच आफिस:- प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011

सरफेसी एक्ट, 2002 की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है. आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेवि विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका.

क्र.	देनदार/सह-देनदार/ बंधक का नाम	लोन एकाउंट नं. व लोन राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए तिथि व डिमांड नोटिस तिथि	देय राशि रु./ अनुसार में
1.	1) श्री बबलू यादव पुत्र मुसाब सिंह यादव 2)श्रीमती शीतल बाई यादव पत्नी बबलू यादव	ऋण खाता संख्या- 32221200000158 ऋण राशि- रु.1,92,000/-	**अचल संपत्ति-** आराजी खसरा संख्या 309 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा कुल माप क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, निर्माण सहित, ग्राम सातनपुर, पीएच संख्या 83, तहसील गुना और जिला गुना (मध्य प्रदेश) में स्थित. पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- हरि सिंह यादव का मकान और दक्षिण में- भगवान सिंह यादव का मकान.	01-09-2025 और 17-09-2025	रु. 2,08,627.30 (रु. दो लाख आठ हजार छह सत्ताइस और पैसे तीस मात्र) 10-09-2025 तक
2.	1) श्री सोहिल पुत्र साबिर खान 2) श्री साबिर शाह पुत्र एडा शाह 3) श्रीमती नूरजहां पत्नी साबिरशाह	ऋण खाता संख्या- 30571200000019 ऋण राशि- रु. 3,00,000/-	**अचल संपत्ति-** भूखंड/मकान वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा क्रमांक 316, कुल माप क्षेत्रफल 88.00 वर्ग मीटर, निर्माण सहित, सर्वेक्षण संख्या 258/1/3 का भाग, ग्राम ईंटखेड़ी सड़क, तहसील हुजूर और जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में स्थित. सीमा- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- अब्बास का घर, उत्तर में- दानिश का घर और दक्षिण में- नईम का घर.	01-09-2025 और 25-09-2025	रु. 3,19,872.59 (रु. तीन लाख उन्नीस हजार आ सौ बहत्तर और पैसा उनसठ मात्र) 21-09-2025 तक
3.	1) श्री सीताराम पुत्र नाथू सिंह 2) श्रीमती पार्वती बाई पत्नी सीताराम	ऋण खाता संख्या- 47170430000301 ऋण राशि- रु. 3,03,000/-	**अचल संपत्ति-** ज़मीन का वह पूरा टुकड़ा जिसमें मकान संख्या 136, कुल क्षेत्रफल 797.50 वर्ग फुट (74.11 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, ग्राम हरणगांव, पीएच संख्या 30, ग्राम पंचायत हरणगांव, तहसील और जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. सीमा- पूर्व में- महेश का घर, पश्चिम में- नाथू सिंह का घर, उत्तर में- राधेश्याम का घर और दक्षिण में- आम सड़क.	01-09-2025 और 29-09-2025	रु. 3,02,309.05 (रु. तीन लाख दो हजार तीन नौ और पैसा पांच मात्र) 21-09-2025 तक
4.	1) श्री अमर सिंह पुत्र मांगीलाल 2) श्रीमती अनीता पत्नी अमर सिंह	ऋण खाता संख्या- 46500430000250 45499800005746 ऋण राशि- रु. 5,33,772/-	**अचल संपत्ति-** ज़मीन का वह पूरा टुकड़ा जिसमें मकान/प्लॉट है संख्या 136, कुल क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट (72.49 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, वार्ड क्रमांक 06, ग्राम मोलगा, तहसील इछावर एवं जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- सुमेर सिंह का मकान, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- गुलाब का मकान और दक्षिण में- सड़क से घिरा है.	03-09-2025 और 01-10-2025	रु. 4,92,671.36 (रु. चार लाख बानवे हजार छ सौ इकहत्तर और पैसा छत्ती मात्र) 17-09-2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉल संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज अ अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने लिए बाध्य होगा. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जन लघु वित्त बैंक लिमि को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंप की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है.

दिनांक -09.10.2025, स्थान- भोपाल | हस्ता. अधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटे